प्रेस विज्ञप्ति

09.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय **(**ईडी**),** श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने आईटीबीपी द्वारा **108** किलोग्राम विदेशी मूल के सोने की जब्ती के मामले में दिल्ली-एनसीआर में **05** स्थानों और लद्दाख में **01** स्थान पर आवासीय और व्यावसायिक परिसर में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम**, 1999 (**फेमा**)** के प्रावधानों के तहत तलाशी ली है**,** जिसके परिणामस्वरूप अपराध–संकेती दस्तावेज बरामद हुए हैं।

डीआरआई ने भी इस मामले की जाँच की है और उनकी जाँच से पता चला है कि इस तरह से **1064** किलोग्राम विदेशी सोने का लेन-देन किया गया था और भुगतान यूएसडीटी/टीथर के माध्यम से किया गया था। डीआरआई ने **COFEPOSA** के तहत **10** लोगों को हिरासत में लिया है और वे अभी भी **COFEPOSA** की हिरासत में हैं।

ईडी की जाँच से पता चला है कि तस्करी का विदेशी सोना**,** एक चीनी नागरिक**,** भू-चुम-चुम द्वारा**,** भारत-चीन सीमा **(**तिब्बत क्षेत्र**)** के रास्ते भारत में तेंदु ताशी नामक व्यक्ति को अवैध रूप से भेजा जा रहा था। तेंदु ताशी ही मास्टरमाइंड है और तस्करी किए गए विदेशी सोने की छड़ों को लद्दाख से दिल्ली तक पहुँचाने और आगे के निपटान के लिए पूरी रसद व्यवस्था करने के लिए ज़िम्मेदार है।

यह भी पता चला है कि तिब्बत निवासी तेनज़िन खंडप**,** भू-चुम-चुम से विदेशी मूल के सोने का नामित प्राप्तकर्ता था और उसे उक्त सोने को भारत-चीन सीमा तक पहुँचाने और सीमा के चीनी हिस्से में भारतीय कुलियों को सौंपने का काम सौंपा गया था। यह भी पता चला है कि तेंदू ताशी के निर्देश पर**,** तेनज़िन खंडप के चाचा**,** तेनज़िन सम्फेल नामक व्यक्ति ने चीन से **108** किलोग्राम विदेशी मुद्रा सोना इकट्ठा करने के लिए दो कुलियों की नियुक्ति की थी।

ईडी की जाँच में यह भी पता चला कि तेंदु ताशी ने वर्ष **2023** और **2024** के दौरान अपने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के अन्य सदस्यों की मदद से चीन सीमा से भारत में **800** करोड़ रुपये मूल्य का **1064** किलोग्राम सोना सफलतापूर्वक तस्करी किया है। तस्करी का सोना दिल्ली में कुछ लोगों को दिया जाता था**,** जो उसे दिल्ली के विभिन्न स्वर्ण आभूषण विक्रेताओं/व्यापारियों को बेचते थे। उक्त विदेशी सोने की खरीद के लिए भुगतान क्रिप्टोकरेंसी **(USDT/Tether)** के माध्यम से चीनी सीमा पर भु-चुम-चुम को किया जाता था।

आगे की जाँच जारी है।